



उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला पंचायत राज कार्यालय, देवघर)

ईमेल :- dpro.deoghar-jhr@nic.in

—: सूचना :-

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड, राँची का अधिसूचना संख्या-395/पं0 दिनांक-19.02.2021, पत्रांक-447, दिनांक-25.02.2021, पत्रांक 1543 दिनांक 19.08.2021 एवं 1583 दिनांक 27.08.2021 के आलोक में देवघर जिले हेतु 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों में तकनीकी कर्मियों की सेवा अनुबंध प्राप्त करने हेतु कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संशोधित (Revised) प्रारंभिक मेधा सूची में अंकित आवेदकों को पदवार लिखित/दक्षता (विषय ज्ञान) परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न प्रकार परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

परीक्षा की तिथि 05.09.2021 (रविवार)

क्र०	पद का नाम	पाली	परीक्षा अवधि	परीक्षा केन्द्र	अभियुक्ति
1.	कनीय अभियन्ता	प्रथम	पूर्वा० 10.30 से 12.30 बजे अप० तक	ए० एस० महाविद्यालय, देवघर (विज्ञान संकाय कैम्पस 02)	परीक्षा केन्द्र में पूर्वा० 9.30 बजे तक प्रवेश अनिवार्य होगा
2.	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	द्वितीय	अप० 2.00 से 4.00 बजे अप० तक	ए० एस० महाविद्यालय, देवघर (विज्ञान संकाय कैम्पस 02)	परीक्षा केन्द्र में अप० 1.00 बजे तक प्रवेश अनिवार्य होगा

उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संशोधित (Revised) प्रारंभिक मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थी अपना दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (आवेदन पत्र के अनुरूप) के साथ जिला पंचायत राज कार्यालय, देवघर में दिनांक 31.08.2021 से 02.09.2021 तक कार्यालय अवधि में आकर अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) प्राप्त कर सकेंगे।

(सभी संबंधित कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।)

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक : 746 / जि0पं0, देवघर, दिनांक 21.8.2021

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन देवघर जिले के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- उपायुक्त देवघर/उप विकास आयुक्त, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
देवघर।